

**बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)**

बिहार एवं झारखण्ड
छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. **बिष्क/246/अ-573**

Date:- **30/08/2025**

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

सभी माननीय प्रतिनिधि
बिस्कोमान (बिहार-झारखण्ड)
बिस्कोमान सामान्य निकाय।

विषय:- दिनांक-23.09.2025 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के सामान्य निकाय की 36वीं वार्षिक आम-सभा में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) बिहार एवं झारखण्ड, पटना की उप-विधि संख्या-21 के आलोक में सामान्य निकाय की 36वीं वार्षिक आम-सभा की बैठक दिनांक-23.09.2025 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से D.N.S. Regional Institute of Cooperative Management, Shastri Nagar, Patna (डी.एन.एस. क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्री नगर, पटना-800023) में आयोजित की गयी है। उक्त वार्षिक आम-सभा से संबंधित कार्य सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

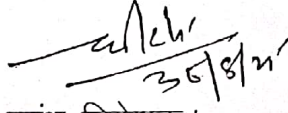
अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित निर्धारित तिथि एवं यथानिर्धारित स्थान पर ससमय सामान्य निकाय की 36वीं वार्षिक आम-सभा की बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

सामान्य निकाय की 36वीं वार्षिक आम-सभा की कार्य सूची निम्न प्रकार है:-

1.	दिनांक 10.07.2025 को सम्पन्न निदेशक पर्वद एवं उप समितियों की बैठक में लिए गए निर्णय की सम्पुष्टि।
2.	प्रबंध निदेशक द्वारा उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन।
3.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकक्षित प्रतिवेदन (लेखा चिट्ठा विवरणी सहित) का अनुमोदन।
4.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकक्षित प्रतिवेदन के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार।
5.	मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 की धारा-120 के आलोक में केन्द्रीय निबंधक के समक्ष दाखिल किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष (2024-25) के वार्षिक विवरणी के अनुमोदन पर विचार।

6.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट एवं व्यय के अनुमोदन पर विचार।
7.	पूर्णकालीन संचालन घाटा की समीक्षा सहित दीर्घकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक संचालन योजना की रूप रेखा के अनुमोदन पर विचार।
8.	Rules of Business, वार्षिक योजना एवं अन्य परियोजनाएं का अनुमोदन पर विचार।
9.	वित्तीय वर्ष (2025-26) के लिए सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार।
10.	उपविधियों का संशोधन करने के लिए, यदि कोई हों, पर विचार।
11.	प्रबंधन नीति एवं निदेशक मंडल के सदस्यों और अधिकारियों हेतु आचार संहिता बनाने के लिए अनुमोदन पर विचार
12.	बिस्कोमान के निदेशक पद के सदस्यों/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से संबंधित रिश्तेदार कार्मिकों की घोषणा/प्राथमिकता पर विचार।
13.	अन्यान्य, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

विश्वासभाजन


प्रबंध निदेशक।